(☎ 022-22862703)
ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No. 2204 8476 &
2282 4354

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400 001

फाईल सं.F.No. 7/20/2016/IR&W/ 3816

मार्च March 18, 2021

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस क्षेत्र के बाहर निवास कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीडी उपचार की प्रतिपूर्ति।

Subject : Reimbursement for OPD treatment to retired employees who stay outside CHSS area.

****

उपरोक्त विषय पर विभाग के 4 दिसंबर, 2018 के का.ज्ञा.सं. 7/3/2017/IR&W (Vol.II)/15101 का कृपया संदर्भ लें। सीएचएसएस नियमावली, 1998 के नियम सं. 2.1.10(v) का भी संदर्भ लें जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवार के पात्र सदस्यों को सीएस (एमए) नियमावली के तहत इन-डोर उपचार के लिए प्रतिपूर्ति दी जाती है।

Reference is invited to this Department's OM No. 7/3/2017/IR&W (Vol.II)/15101 dated December 4, 2018 on the above subject. Reference is also invited Rule No. 2.1.10(v) of the CHSS Rules, 1998 providing reimbursement under CS(MA) Rules for in-door treatment to retired employees and their eligible family members.

2. सीएचएसएस क्षेत्र के बाहर निवास कर रहे सेवानिवृत्त् कर्मचारियों को ओपीडी उपचार की सुविधा देने के लिए स्पष्टीकरण हेतु संदर्भ विभाग में प्राप्त हो रहे हैं। यह एतदद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि सीएचएसएस क्षेत्र के बाहर निवास कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीडी प्रभार की प्रतिपूर्ति सीजीएचएस दरों या वास्तविक दरों, जो भी कम हो, पर की जाएगी।

References are being received in the Department seeking further clarification on the issue regarding extension of OPD treatment to retired employees who stay outside CHSS area. It is hereby clarified that reimbursement of OPD charges to retired employees who stay outside CHSS area may be made at CGHS rates or actual rate, whichever is less.

3. इसे विभाग में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से और विभाग के दिनांक 4.12.2018 के का.ज्ञा. सं. 7/3/2017/IR&W(Vol.II)/15101 का अधिक्रमण करते हुए जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Competent Authority in the Department and is in supersession to DAE N OM No. 7/3/2017/IR&W(Vol.II)/15101 dated 4.12.2018.

18/3/21

(सुरेश नायर Suresh Nair)

विशेष कार्याधिकारी (आईआरएंडडब्ल्यू) Officer on Special Duty (IR&W)

प्रति To

सीएचएसएस से संबंधित सभी प्रशासनिक प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities